Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 22-2020] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 2 जून, 2020
(12 ज्येष्ठ, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 24/के०अ० 2/1974/धा० 357क/2020, दिनांक प्रथम जून, 2020 – हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, 2020.	59–80
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय तथा प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम जून, 2020

संख्या का०आ० 24/के०अ० 2/1974/धा०–357–क/2020.– दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 357–क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, केन्द्र सरकार से तालमेल करके, इसके द्वारा, ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुँची है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा देने के प्रयोजन हेतु निधि उपलब्ध करवाने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं, अर्थात् : –

भाग– I

संक्षिप्त नाम तथा लागूकरण।

1. (1) यह योजना हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना, 2020, कही जा सकती है।

(2) यह योजना यौन शोषण/अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला को छोड़कर अन्य पीड़ितों पर लागू होगी।

परिभाषाएं।

2. (1) इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) ;

(ख) **"अपराध"** से अभिप्राय है, अवैध कृत्य या भूल या चूक या पीड़ित के मानव शरीर के विरूद्ध किया गया कोई अपराध ;

(ग) **"आश्रितों"** से अभिप्राय है, पत्नी/पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, नाबालिग बच्चे और इसमें पीड़ित के अन्य विधिक वारिस भी शामिल हैं, जिन्हें पर्याप्त सबूत उपलब्ध करवाने पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ित पर सम्पूर्ण रूप से आश्रित पाया गया है ;

(घ) **"परिवार"** से अभिप्राय है, माता–पिता, बच्चे और इसमें उसी घर में रहने वाले सभी रक्त–सम्बन्धी भी शामिल हैं ;

(ड) **"अनुसूची"** से अभिप्राय है, इस योजना से संलग्न अनुसूची ;

(च) **"राज्य"** से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ; तथा

(छ) **"पीड़ित"** से अभिप्राय है, अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित पीड़ित तथा इसमें तेजाब हमला पीड़ित भी शामिल हैं ;

(2) इस योजना में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में दिये गए हैं।

पीड़ित मुआवजा निधि।

3. (1) पीड़ित मुआवजा निधि के नाम से निधि गठित की जाएगी।

(2) पीड़ित मुआवजा निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी;

(क) बजट आबंटन, जिसके लिए राज्य द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा ;

(ख) अधिनियम की धारा 357 के अधीन अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति और न्यायालयों के आदेशों से निधि में जमा करवाई जाने वाली राशि ;

(ग) योजना के खण्ड 7 के अधीन दोषी/अभियुक्त से वसूल की गई मुआवजा राशि ; तथा

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय, लोकोपकारक/धर्मार्थ संस्था/संगठन और वैयक्तिक से प्राप्त दान/अंशदान।

(3) न्याय तथा प्रशासन विभाग, इस योजना के विनियमन, प्रशासनिक प्रबन्ध और निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा।

(4) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इस योजना के अधीन इसके कृत्यों के लिए और नोडल विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन्हें वितरित की गई राशि की आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा निधि का संचालन किया जाएगा।

मुआवजे के लिए प्रात्रता।

4. (1) पीड़ित, मुआवजे के लिए पात्र होगा, जहाँ पर :–

(क). न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357–क की उप–धाराओं (2) और (3) के अधीन सिफारिश की जाती है, यदि विचारण न्यायालय द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जाती है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जब अपराधी का पता नहीं लगाया गया हो या उसकी पहचान नहीं की गयी हो ;

(ख). जब अपराधी का पता नहीं लगा हो या उसकी पहचान नहीं हुई हो, और जहाँ कोई विचारण नहीं हुआ हो, तो ऐसा पीड़ित, अधिनियम की धारा 357–क की उप–धारा (4) के अधीन मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता है ;

(ग) पीड़ित/दावेदार ने घटना से अड़तालीस घण्टे के भीतर पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी या क्षेत्र के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट की हो :

परन्तु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हो जाता है, तो रिपोर्ट करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है ;

(घ) अपराधी का पता लग गया हो या पहचान हो गई हो, और जहां विचारण शुरू हो गया है, पीड़ित/दावेदार ने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोग पक्ष को सहयोग दिया है ;

(ङ) जहाँ अपराधी का पता लग गया हो, पीड़ित/दावेदार ने जांच/विचारण के दौरान सहयोग किया हो और अपराधी विचारण शुरू होने से पहले या उसके बाद मर जाता है, तो पीड़ित मुआवजा देने के लिए आवेदन कर सकता है ;

(च) परिवार की वार्षिक आय चार लाख पचास हजार रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए; तथा

(छ) अपराध, जिसके कारण इस योजना के अधीन मुआवजे का भुगतान किया जाना है, हरियाणा राज्य की अधिकारिता के भीतर घटित होना चाहिए।

(2) केन्द्रीय या राज्य सरकार, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी तथा आयकरदाता, इस योजना के अधीन पात्र नहीं होंगे।

मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया।

5. (1) जब कभी भी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा (2) के अधीन सिफारिश की जाती है या किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अधिनियम की धारा 357–क की उप धारा (4) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मामले की जांच करेगा और रिपोर्ट की गई अपराधिक गतिविधि से पीड़ित को हुई हानि या चोट के सम्बन्ध में दावे के तथ्यों को सत्यापित करेगा और दावे की प्रमाणिकता निर्धारित करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मांग सकता है। दावे का सत्यापन करने और सम्यक् जांच करने के उपरांत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इस योजना के उपबन्धों के अनुसार दो मास के भीतर मुआवजा प्रदान करेगा।

(2) इस योजना के अधीन मुआवजा का भुगतान इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि यदि विचारण न्यायालय पश्चात्वर्ती तिथि को निर्णय देते समय दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन मुआवजे के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देता है, तो पीड़ित या दावेदार मुआवजे की राशि के बराबर की राशि या अधिनियम की धारा 357 की उप धारा (3) के अधीन भुगतान की जाने वाली आदेशित राशि, जो भी कम हो, लौटाएगा। पीड़ित/दावेदार द्वारा इस आशय का शपथपत्र मुआवजे की राशि के वितरण से पूर्व दिया जाएगा :

परन्तु इस योजना के अधीन भुगतानयोग्य मुआवज़ा, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 326–क के अधीन पीड़ित को जुर्माने के भुगतान से अतिरिक्त होगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई हानि के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाने वाली मुआवजे की मात्रा, उपचार पर उपगत होने वाले चिकित्सा व्यय, अन्त्येष्टि व्यय इत्यादि के रूप में ऐसे आकस्मिक प्रभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आजीविका राशि का निर्णय करेगा। प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर मामला दर मामला मुआवजा भिन्न हो सकता है।

(4) पीड़ित या उसके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की अपेक्षित राशि अनुसूची–I के अनुसार होगी।

(5) इस योजना के अधीन निर्णीत मुआवजे की राशि, पीड़ित या उसके आश्रितों को, जैसी भी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी। मुआवजा राशि का भुगतान करते समय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा कि इस योजना के सभी उपबन्धों का दृढ़ता से पालन किया गया है।

(6) इस योजना में किसी बात के होते हुए भी, तेजाब हमला पीड़ित को घटना के घटित होने के पन्द्रह दिन के भीतर एक लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जायेगा तथा शेष दो लाख रूपये की राशि का भुगतान दो मास के भीतर यथासंभव तथा निश्चित रूप से किया जाएगा।

(7) नाबालिग को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा सावधि जमा में जमा किया जायेगा।

(8) पीड़ित द्वारा प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में राज्य से प्राप्त मुआवजा अर्थात् बीमा, अनुग्रह और/या किसी अन्य अधिनियम या राजीव गांधी परिवार बीमा योजना या राज्य द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अधीन प्राप्त भुगतान को इस योजना के अधीन मुआवजा राशि के भाग के रूप में माना जाएगा। पीड़ित/दावेदार, जिसने उपरोक्त वर्णित समानान्तर स्रोतों से मुआवजा राशि प्राप्त की है, को इस योजना के अधीन मुआवजा प्राप्त करने वाले के रूप में समझा जाएगा और इस योजना के अधीन अलग से मुआवजे के लिए हकदार नहीं होगा। यदि उपरोक्त वर्णित स्रोतों से पीड़ित द्वारा प्राप्त भुगतान से पात्र मुआवजे की राशि से अधिक है, तो शेष राशि का भुगतान निधि में से किया जायेगा।

(9) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन आने वाले मामले, जिनमें मुआवजा, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान किया जाना है, इस योजना के अधीन नहीं आएंगे।

(10) पीड़ित का दुख कम करने के लिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तुरन्त प्राथमिक उपचार सुविधा या पुलिस अधिकारी, जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, या सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर निःशुल्क चिकित्सा लाभ या कोई अन्य अंतरिम राहत, जिसे वह उचित समझे, उपलब्ध करवाने के आदेश कर सकता है।

रिकार्ड पर रखे जाने वाले आदेश।

6. इस योजना के अधीन पारित मुआवजा आदेश की प्रति, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड पर लानी आवश्यक होगी ताकि न्यायालय अधिनियम की धारा 357 की उप–धारा (3) के अधीन मुआवजे के आदेश पारित कर सके।

दोषी/अभियुक्त से पीड़ित को दिये गये मुआवजे की वसूली।

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि इसे उचित समझे, तो उत्तरदायी व्यक्ति से उस द्वारा किए गए अपराध के परिणाम स्वरूप हुई हानि या चोट के लिए पीड़ित या उसके आश्रित (आश्रितों) को दिए गए मुआवजे की वसूली करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियाँ संस्थित कर सकता है।

परिसीमा।

8. अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध के छह मास की अवधि या जांच के बंद होने से छह मास, जो भी बाद में हो, के बाद किए गए किसी भी दावे को ग्रहण नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह दावा दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

अपील।

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवजे से इन्कार करने से व्यथित कोई भी पीड़ित, नब्बे दिन की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है :

परन्तु यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है, तो वह अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

10. हरियाणा पीड़ित मुआवज़ा योजना, 2013, इसके द्वारा, निरसित की जाती है :

परन्तु इस प्रकार निरसित योजना के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कार्रवाई इस योजना के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

अनुसूची–1

{देखिए खण्ड 5 (4)}

क्रम संख्या	चोट/हानि का विवरण	मुआवजे की न्यूनतम धनराशि
1	2	3
1.	एसिड हमला	रू 3 लाख
2.	नाबालिग का शारीरिक शोषण	रू 3 लाख
3.	मानव तस्करी से पीड़ित का पुनर्वास	रू 1 लाख
4.	यौन उत्पीड़न (बलात्कार को छोड़कर)	रू 50,000/–
5.	मृत्यु	रू 2 लाख
6.	स्थाई विकलांगता (80 प्रतिशत या उससे अधिक)	रू 2 लाख
7.	आंशिक विकलांगता (40 से 80 प्रतिशत तक)	रू 1 लाख
8.	शरीर के 25 प्रतिशत से अधिक जलने से प्रभावित (एसिड हमले के मामलों को छोड़कर)	रू 2 लाख
9.	सीमा पार से गोलीबारी के शिकार : (क) मृत्यु या स्थाई विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक) (ख) आंशिक विकलांगता (40 से 80 प्रतिशत)	 रू 2 लाख रू 1 लाख।

टिप्पणः– यदि पीड़ित चौदह वर्ष की आयु से कम है, तो मुआवजे में ऊपर विनिर्दिष्ट राशि के अनुसार पचास प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

भाग–II

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह योजना हरियाणा यौन शोषण अथवा अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला के लिए मुआवजा योजना, 2020, कही जा सकती है।

(2) यह अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हुई समझी जाएगी।

(3) यह उन पीड़ितों तथा उनके आश्रितों पर लागू होगी, जिनको किए गए अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है और जिनको पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।

परिभाषाएं।

2. (1) इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यकता न हो,–

(क) ''संहिता'' से अभिप्राय है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) ;

(ख) ''आश्रित'' में शामिल हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उप–मण्डल मजिस्ट्रेट/पुलिस थाना अधिकारी/जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या आश्रितों द्वारा शपथपत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में रखी सामग्री या स्वयं द्वारा की गई जाँच के आधार पर यथा अवधारित पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा–दादी, अविवाहित पुत्री और नाबालिग बालक हैं ;

(ग) ''जिला विधिक सेवा प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ;

(घ) ''प्ररूप' से अभिप्राय है, इस योजना से संलग्न प्ररूप ;

(च) ''निधि'' से अभिप्राय है, राज्य निधि अर्थात् राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के अधीन गठित पीड़ित मुआवजा निधि ;

(छ) ''केन्द्रीय निधि'' से अभिप्राय है, केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा योजना, 2015 से प्राप्त की गई निधि ;

(ज) ''महिला पीड़ित मुआवजा निधि'' से अभिप्राय है, राज्य पीड़ित मुआवज़ा निधि और केन्द्रीय निधि में से महिला पीड़ितों के लिए वितरण हेतु अलग रखी गई कोई निधि (राज्य पीड़ित मुआवज़ा निधि में, उस बड़ी निधि के एक भाग के रूप में एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा, जिसमें राज्य पीड़ित मुआवजा निधि से प्राप्त निधियों के अतिरिक्त निर्भया निधि से अंशदत्त, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा योजना के अधीन अंशदत्त निधियाँ शामिल होंगी, जिन्हें केवल इस योजना के तहत आने वाली पीड़िताओं के लिए उपयोग किया जाएगा) ;

(झ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, ''राज्य सरकार'', जहां राज्य पीड़ित मुआवज़ा योजना या राज्य पीड़िता मुआवज़ा निधि से संदर्भित हो और ''केन्द्रीय सरकार'' जहां केन्द्रीय सरकार पीड़िता मुआवज़ा योजना से संदर्भित हो ;

(ट) ''चोट'' से अभिप्राय है, किसी महिला को पहुंचाई गई कोई शारीरिक या मानसिक क्षति ;

(ठ) ''नाबालिग'' से अभिप्राय है, ऐसी लड़की, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो ;

(ड) ''अपराध'' से अभिप्राय है, भारतीय दण्ड संहिताएं 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के विरूद्ध किया गया कोई अपराध ;

(ढ) ''दण्ड संहिता'' से अभिप्राय है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) ;

(ण) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस योजना से संलग्न अनुसूची ;

(त) ''राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 39) की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ;

(थ) ''यौन हमला पीड़िता'' से अभिप्राय है, कोई महिला, जिसे यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक या शारीरिक या दोनों चोट पहुँचाई गई हों और इसमें भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 376–क से 376–ङ, धारा 354–क से 354–घ तथा धारा 509 भी शामिल हैं ; तथा

(द) ''अन्य अपराधों से पीड़िता/उत्तरजीवी महिला'' से अभिप्राय है, कोई महिला, जिसे संलग्न अनुसूची में वर्णित किसी अपराध के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक चोट पहुँचाई गई है, इसमें प्रयास तथा दुष्प्रेरण सहित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख, धारा 326क, धारा 498क (अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप की शारीरिक चोट की दशा में) भी शामिल हैं।

(2) इस योजना में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) में दिए गए हैं।

पीड़ित महिला मुआवजा निधि।

3. (1) पीड़िता महिला मुआवज़ा निधि के नाम से निधि होगी, जिसमें से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यथा विनिश्चित मुआवजे की राशि, पीड़ित महिला या उसके आश्रितों को दी जाएगी, जिनको किसी अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि हुई हो या चोट पहुँची हो और जिन्हें पुनर्स्थापन की आवश्यकता हो।

(2) पीड़ित महिला मुआवज़ा निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे,–

(क) केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि योजना, 2015 से प्राप्त किया गया अंशदान ;

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सहायता अनुदान के रूप में आबंटन बजट, जिसके लिए आवश्यक उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया जाएगा ;

(ग) कोई भी लागत राशि, जिसके लिए सिविल/फौजदारी अधिकरण द्वारा इस निधि में जमा कराने के आदेश दिये हों ;

(घ) योजना के खण्ड 4 के अधीन किसी दोषकर्ता/दोषी से वसूली गई मुआवजा राशि;

(च) राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमत्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/धर्मार्थ/संस्थाओं/संगठनों और वैयक्तिक से प्राप्त दान/अंशदान ; तथा

(छ) संगठित सामाजिक जिम्मेदारी के अधीन कम्पनियों से प्राप्त अंशदान।

(3) उक्त निधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी।

मुआवजे के लिए पात्रता।

4. महिला पीड़िता अथवा उसके आश्रित (आश्रितों), जैसी भी स्थिति हो, उसको लागू बहुयोजनाओं से मुआवजा लेने के पात्र होंगे। तथापि, उसके द्वारा संहिता की धारा 357ख के संबंध में अन्य योजनाओं में उस द्वारा प्राप्त मुआवजे को ऐसे पश्चातवर्ती आवेदन में मुआवजे की मात्रा का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन करने हेतु प्रक्रिया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की आज्ञापक रिपोर्टिंग :– थाना प्रबन्धक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आज्ञापक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक सॉफ्ट/हार्ड प्रति, जो उन अपराधों के बारे में हो, जो इस योजना के अन्तर्गत आते हैं और जिनमें संहिता की धारा 326–क, 354–क से 354–घ, 376–क से 376–ड, 304–ख, 498–क (इस अनुसूची में आने वाली शारीरिक चोट की दशा में) भी शामिल हैं, ताकि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपयुक्त मामलों में, स्वप्रेरणा से अन्तरिम मुआवज़ा देने के प्रयोजन के लिए तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन प्रारंभ कर सकता है। अन्तरिम या अन्तिम मुआवज़ा देने के लिए आवेदन प्ररूप I में पीड़िता तथा/या उसके आश्रितों या सम्बन्धित थाना प्रबन्धक द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास दायर किया जा सकता है और इसके साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपराधिक शिकायत, जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा ले लिया गया हो और यदि उपलब्ध हो, मेडिकल रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति, निर्णय/न्यायालय की सिफारिश, यदि विचारण पूरा हो गया हो, की प्रति संलग्न की जाएगी।

आवेदन दायर करने का स्थान।

6. मुआवजे के लिए आवेदन/सिफारिश, या तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सम्बद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष की जा सकती है या यह ऑनलाईन पोर्टल, जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित किया जाएगा, पर दायर किया जा सकता है। सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन/सिफारिश का योजना के अनुसार निर्णय करेगा।

व्याख्या : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत सरकार W.P.CRML 129/2006 दिनांक 10 अप्रैल, 2015 में दिए गए निर्देश के अनुसार, तेजाब हमला पीड़ितों के मामले में निर्णय करने का प्राधिकार दाण्डिक चोट मुआवजा बोर्ड को होगा, जिसमें जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे।

राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली राहत।

7. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इस योजना से संलग्न अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक पीड़िता या उसके आश्रितों को मुआवज़ा दे सकता है।

मुआवजा देते समय विचारणीय तथ्य।

8. मामले का विनिश्चय करते समय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़िता द्वारा झेली गई हानि या चोट के बारें में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकता है :–

(i) अपराध की गम्भीरता तथा पीड़िता द्वारा झेली गई मानसिक या शारीरिक पीड़ा की गम्भीरता;

(ii) पीड़िता को परामर्श, अंतिम संस्कार, अन्वेषण जांच/विचारण के दौरान की गई यात्रा (भोजन खर्च के अतिरिक्त) सहित शारीरिक तथा/या मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सीय उपचार पर उपगत या उपगत किए जाने के लिए सम्भाव्य व्यय ;

(iii) अपराध के परिणामस्वरूप शिक्षा के अवसर में हानि, जिसमें मानसिक पीड़ा, शारीरिक चोट, चिकित्सीय उपचार, अपराध का अन्वेषण और विचारण, या किसी अन्य कारण से विद्यालय/महाविद्यालय से अनुपस्थिति भी शामिल है ;

(iv) अपराध के परिणामस्वरूप रोजगार की हानि, जिसमें मानसिक पीड़ा, शारीरिक चोट, चिकित्सीय उपचार, अपराध का अन्वेषण और विचारण, या किसी अन्य कारण से रोजगार के स्थान से अनुपस्थिति भी शामिल है ;

(v) अपराधी के साथ पीड़िता का सम्बन्ध, यदि कोई हो ;

(vi) क्या दुर्व्यवहार एक ही बार किया है या बहुत समय से चलता आ रहा है ;

(vii) क्या पीड़िता अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गयी थी, क्या उसे गर्भपात करवाना पड़ा था/उसने बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें ऐसे बालक की पुनर्स्थापन की आवश्यकता भी शामिल है ;

(viii) क्या पीड़िता को अपराध के परिणामस्वरूप यौन रोग की बीमारी लगी है ;

(ix) क्या पीड़िता को अपराध के परिणामस्वरूप एड्स (एच.आई.वी.) की बीमारी लगी है ;

(x) अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता द्वारा झेली गई अशक्तता ;

(xi) पीड़िता की वित्तीय स्थिति, जिसके विरूद्ध अपराध किया गया है ताकि उसके पुनर्स्थापन तथा पुनः एकीकरण की आवश्यकता को निर्धारित किया जा सके ;

(xii) मृत्यु की दशा में, मृतक की आयु, उसकी मासिक आय, आश्रितों की संख्या, अनुमानित जीवनकाल, भावी प्रोत्साहनपरक/विकास आदि के अवसर ; तथा

(xiii) कोई अन्य तथ्य, जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायसंगत और उचित समझे।

मुआवजा देने के लिए प्रक्रिया।

9. (1) जब भी न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 357–क की उप–धारा (2) तथा (3) के अधीन मुआवज़ा देने की सिफारिश की जाती है, या पीड़िता या उसके आश्रितों द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संहिता की धारा 357–क की उप–धारा (4) के अधीन अन्तरिम मुआवज़ा देने का आवेदन किया जाता है, तो यह प्रथम दृष्ट्या पीड़िता की जरूरतों और पहचान को देखते हुए अपनी सन्तुष्टि करेगा। अंतिम मुआवज़े के सम्बन्ध में, यह मामले की जांच करेगा और हानि/चोट और पुनर्स्थापन की जरूरतों, जो अपराध के परिणामस्वरूप हुई हैं, के सम्बन्ध में दावे के तथ्यों का सत्यापन करेगा और दावे के निर्णय के लिए आवश्यक किसी अन्य सुसंगत सूचना की मांग कर सकता है :

परन्तु योग्य मामलों और सभी तेजाब हमला मामलों में, अपराध किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वयं प्रेरणा या तथ्यों के प्रारम्भिक सत्यापन के पश्चात्, अन्तरिम राहत देने की कार्यवाही कर सकता है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थिति में अपेक्षित हो :

(2) संहिता की धारा 357–क की उप–धारा (5) के अधीन यथा अनुध्यात जांच, शीघ्र अति शीघ्र पूरी की जाएगी और किसी भी दशा में अवधि, दावा/याचिका या सिफारिश की प्राप्ति से साठ दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु तेजाब हमला मामलों में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोटिस में मामला आने के पन्द्रह दिन के भीतर पीड़िता को एक लाख रूपये का भुगतान किया जाएगा। अन्तरिम मुआवज़ा देने वाला आदेश, मामला इसके ध्यान में लाए जाने के सात दिन के भीतर पारित किया जाएगा और आदेश पारित किये जाने के आठ दिन के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे का भुगतान करेगा। इसके पश्चात्, दो लाख रूपये की राशि, पीड़िता को शीघ्र अति शीघ्र संभवतः और निश्चित तौर पर, प्रथम भुगतान के दो मास के भीतर भुगतान की जाएगी :

परन्तु यह और कि पीड़िता को ऐसी और राशि का भुगतान भी किया जा सकता है, जो इस योजना के अधीन अनुज्ञेय हो।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात्, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, अपनी सन्तुष्टि करने के पश्चात्, खण्ड 8 तथा अनुसूची–I में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पीड़िता या उसके आश्रितों को मुआवज़ा देने की राशि का विनिश्चय करेगी तथापि, योग्य मामलों में, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऊपरी सीमा से अधिक हो सकती है :

परन्तु, यदि पीड़िता अवयस्क है, तो मुआवज़े की राशि अनुसूची–I में वर्णित राशि से 50 प्रतिशत अधिक होगी।

(4) पीड़िता या उसके आश्रितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि अनुसूची–I के अनुसार होगी।

तेजाब हमले के पीड़ित ज्ञापन क्रमांक 24013/94/मिस0/2014–सी0एस0आर0–III एम0एच0ए0, दिनांक 9 नवम्बर, 2016 द्वारा जारी प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष के अधीन अतिरिक्त एक लाख रूपये के मुआवजे के लिये भी पात्र होंगे।

तेजाब हमले के पीड़ित, पाँच लाख रूपये की अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता के लिये भी पात्र होंगे जिन्हें, केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि दिशानिर्देश–2016, क्रमांक 24013/94/ मिस0/ 2014–सी0एस0आर0–III, एम0एच0ए0/जी0ओ0आई0 के अनुसार संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए मुआवजे के अतिरिक्त उपचार खर्च आवश्यकता है।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, योजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए किसी भी सम्बद्ध प्राधिकरण/स्थापना/वैयक्तिक/पुलिस/न्यायालय या विशेषज्ञ से कोई अभिलेख मांग सकता है या सहायता ले सकता है।

(6) यदि विचारण/अपील न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आपराधिक शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण, इस योजना के अधीन भागतः या पूर्णतः दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, की वसूली के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष इसकी वसूली हेतु कार्यवाहियां प्रारम्भ कर सकता है, मानो यह जुर्माना था।

आदेशों का रिकार्ड में रखा जाना।

10. इस योजना के अधीन पारित अन्तरिम या अंतिम मुआवज़ा के आदेश की प्रति, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में रखी जाएगी ताकि विचारण न्यायालय, संहिता की धारा 357 के अधीन उचित आदेश पारित कर सके। आदेश की सही प्रति जांच अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाएगी, यदि मामले की जांच लम्बित हो और एक सही प्रति पीड़िता/आश्रित, जैसी भी स्थिति हो, को भी दी जाएगी।

मुआवजे के संवितरण का ढंग।

11. (1) इस प्रकार दिए गए मुआवज़े की राशि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंक में पीड़िता/आश्रितों के संयुक्त या व्यक्तिगत खातों में जमा करते हुए संवितरित की जाएगी। यदि पीड़िता का कोई बैंक खाता नहीं है, तो सम्बद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता के नाम से और यदि पीड़िता अवयस्क है, तो अभिभावक के साथ बैंक खाता खुलवाने में सहायता करेगा और यदि अवयस्क शिशु देखभाल संस्था में है, तो अभिभावक के रूप में उस संस्था के अधीक्षक के पास बैंक खाता खुलवाया जाएगा। तथापि, पीड़िता विदेशी नागरिक या शरणार्थी है, तो मुआवज़ा कैश कार्डों के माध्यम से दिया जा सकता है। अन्तरिम मुआवजा पूरा दिया जाएगा। तथापि, जहाँ तक अंतिम मुआवजे का सम्बन्ध है, तो पचहत्तर प्रतिशत मुआवजा सावधि जमा के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष के लिए रखा जाएगा और शेष पच्चीस प्रतिशत पीड़िता/आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को प्रारम्भिक खर्चों के लिए दिया जाएगा।

(2) अवयस्क के मामले में इस प्रकार दिए गए मुआवज़े की राशि का अस्सी प्रतिशत सावधि जमा खाते में रखा जाएगा और यह राशि केवल उसकी वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही निकाली जा सकेगी, किन्तु जमा कराने के तीन वर्ष से पूर्व नहीं :

परन्तु अपवाद मामलों में, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेक पर उस राशि को शैक्षणिक, चिकित्सा या अन्य अत्यावश्यक जरूरतों के लिए निकाला जा सकता है।

(3) यदि राशि सावधि के रूप में (एफ0डी0आर0) में है, तो उसका ब्याज पीड़िता/आश्रितों के बचत खाते में बैंक द्वारा मासिक आधार पर सीधे जमा कर दिया जाएगा, जो लाभार्थी द्वारा निकाला जा सकता है।

पीड़ित को अंतरिम राहत।

12. किसी पुलिस अधिकारी, जो पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, या सम्बद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर या पीड़ित/आश्रितों के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, पीड़िता का कष्ट कम करने हेतु तत्काल निःशुल्क प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने या अन्य कोई अंतरिम राहत (जिसमें अंतरिम मुआवज़ा भी शामिल है), जो उचित समझा जाए, के आदेश पारित कर सकता है :

परन्तु जैसे ही मुआवज़े के लिए आवेदन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होता है, तो पांच हजार रूपए की राशि या आवश्यकतानुसार दस हजार रूपए तक की राशि, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सदस्य–सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए गए प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से पीड़िता को तुरंत संवितरित की जाएगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार दी गई अन्तरिम राहत, अनुसूची–I के अनुसार दिए जाने वाले अधिकतम मुआवज़े के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो पीड़िता को पूर्ण रूप से भुगतान की जाएगी:

परन्तु यह और कि तेजाब हमला मामले में, पीड़िता को एक लाख रूपये की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ध्यान में लाए जाने से पन्द्रह दिन के भीतर भुगतान की जाएगी। अंतरिम मुआवज़ा देने के आदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उसके ध्यान में लाए जाने के सात दिन के भीतर पारित किया जाएगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, आदेश पारित करने के आठ दिन के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा। उसके पश्चात्, अतिरिक्त दो लाख रूपये की राशि शीघ्र अति शीघ्र सम्भवतः और निश्चित तौर पर दो मास के भीतर पीड़िता को भुगतान की जाएगी।

पीड़ित या उसके आश्रितों को दिए गए मुआवजे की वसूली।

13. संहिता की धारा 357–क की उप–धारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सक्षम विधि न्यायालय के समक्ष, कारित अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों से पीड़िता या उसके आश्रितों को दिए गए मुआवज़े की वसूली के लिए कार्यवाहियां संस्थित कर सकता है। इस प्रकार वसूल की गई राशि, पीड़िता महिला मुआवज़ा निधि में जमा करवाई जाएगी।

आश्रित प्रमाण–पत्र।

14. आश्रित प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकरण उसे पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर जारी करेगा और किसी भी मामले में यह अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी :

परन्तु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आश्रित प्रमाण–पत्र जारी न होने के मामले में, पन्द्रह दिन की समाप्ति के बाद, दावेदार से लिए जाने वाले शपथपत्र के आधार पर आगे कार्यवाही कर सकता है।

अवयस्क पीड़ित।

15. यदि पीड़िता अनाथ अवयस्क है, जिसके कोई माता–पिता या अभिभावक नहीं हैं, तो तत्काल राहत या अंतरिम मुआवजा, शिशु देखरेख संस्था, जहां बालक को रखा गया है, के अधीक्षक या उसके अभाव में, आहरण और वितरण अधिकारी/उप–मण्डल मजिस्ट्रेट, जैसी भी स्थिति हो, के संरक्षणाधीन खोले गए बालक के बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।

समय–सीमा।

16. इस योजना के अधीन, पीड़िता या उसके आश्रितों द्वारा संहिता की धारा 357–क की उप–धारा (4) के अधीन किए गए दावे पर अपराध के घटित होने या विचारण के निष्कर्ष की तिथि से तीन वर्ष के पश्चात् विचार नहीं किया जाएगा :

परन्तु योग्य मामलों में, इस सम्बन्ध में किए गए आवेदन पर, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तीन वर्ष से अधिक विलम्ब को माफ कर सकता है।

अपील।

17. यदि पीड़िता या उसके आश्रित, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए मुआवज़े की राशि से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे आदेश प्राप्ति से तीस दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं :

परन्तु योग्य मामलों में, अभिलिखित कारणों के आधार पर, इस सम्बन्ध में आवेदन किये जाने पर अपील प्राधिकरण अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर सकता है।

विशेष उपबंध।

18. (1) यदि इस योजना में किसी पीड़ित महिला को मुआवज़े के संबंध में किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया है, तो राज्य की पीड़ित मुआवज़ा योजना के उपबन्ध लागू होंगे।

(2) यह योजना, पीड़िता या उनके आश्रितों को, अपराध करने वाले या परोक्ष रूप से जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध मुआवज़े के लिए कोई सिविल मामला या दावा संस्थित करने के लिए नहीं रोकेगी।

व्याख्या : यह प्रमाणित किया जाता है कि यह योजना, लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन अवयस्क पीड़ितों पर लागू नहीं होगी, जहाँ तक उनके मुआवज़े के मामले, लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 33 की उप–धारा (8) और लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 के नियम 7 के अधीन केवल माननीय विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाए जाने हैं।

प्ररूप–I

(देखिए खण्ड 5)

यौन शोषण अथवा अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला के लिए मुआवजा योजना, 2020 के अधीन अंतरिम/अंतिम मुआवज़े के लिए आवेदन–पत्र

1.	आवेदक/पीड़ित या उसके आश्रित का नाम	
2.	पीड़िता या उसके आश्रितों की आयु	
3.	(क)– पिता का नाम (ख)– माता का नाम (ग)– पति/पत्नी का नाम	
4.	पीड़िता या उसके आश्रितों का पता	
5.	घटना की तिथि और समय	
6.	क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है ?	
7.	क्या चिकित्सीय जांच करवाई गई है? यदि हाँ, तो चिकित्सीय रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण–पत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करें।	
8.	विचारण की स्थिति, यदि लम्बित है, यदि विचारण पूरा हो गया है, तो निर्णय और सजा के आदेश की नकल संलग्न करें।	
9.	क्या आवेदक को विचारण न्यायलय द्वारा या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा कोई मुआवज़ा दिया गया है ? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
10.	वित्तीय व्यय/उपगत हानि का ब्यौरा देवें	
11.	क्या आपने अपराधी के विरूद्ध कोई सिविल मामला/दावा किया है? यदि हाँ, तो विस्तृत ब्यौरा दें :	

पीड़िता/आश्रित के हस्ताक्षर

अनुसूची– I

{देखिए खण्ड 9 (4)}

क्रम संख्या	हानि या चोट के ब्यौरे	मुआवज़े की न्यूनतम सीमा	मुआवज़े की अधिकतम सीमा
1	2	3	4
1.	जीवन की हानि	रू 5 लाख	रू. 10 लाख
2.	सामूहिक बलात्कार	रू. 5 लाख	रू. 10 लाख
3.	बलात्कार	रू. 4 लाख	रू. 7 लाख
4.	अप्राकृतिक यौन शोषण	रू. 4 लाख	रू. 7 लाख
5.	शरीर के किसी अंग या किसी भाग की हानि, जिससे 80 प्रतिशत या अधिक की स्थायी अशक्तता हो	रू. 2 लाख	रू. 5 लाख
6.	शरीर के किसी अंग या किसी भाग की हानि, जिससे 40 प्रतिशत में और 80 प्रतिशत से कम स्थायी अशक्तता हो	रू. 2 लाख	रू. 4 लाख
7.	शरीर के किसी अंग या किसी भाग की हानि, जिससे 20 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत से कम स्थायी अशक्तता हो	रू. 1 लाख	रू. 3 लाख
8.	शरीर के किसी अंग या किसी भाग की हानि, जिससे 20 प्रतिशत से कम स्थायी अशक्तता हो	रू. 1 लाख	रू. 2 लाख
9.	गंभीर शारीरिक चोट या कोई मानसिक चोट, जिसके कारण पुनर्वास की जरूरत हो	रू 1 लाख	रू. 2 लाख
10.	भ्रूण की हानि अर्थात् प्रहार के कारण गर्भपात या प्रज़नन क्षमता में कमी होना	रू. 2 लाख	रू. 3 लाख
11.	बलात्कार के कारण गर्भधारण की दशा में	रू. 3 लाख	रू. 4 लाख
12.	दहन की पीड़िता :–		
	(क) कुरूप होने की दशा	रू. 7 लाख	रू. 8 लाख
	(ख) यदि चोट 50 प्रतिशत से अधिक है	रू. 5 लाख	रू. 8 लाख
	(ग) यदि चोट 50 प्रतिशत से कम है	रू. 3 लाख	रू. 7 लाख
	(घ) यदि चोट 20 प्रतिशत से कम है	रू. 2 लाख	रू. 3 लाख
13.	तेजाब हमले से पीड़ित :–		
	(क) चेहरे का कुरूप होना	रू. 7 लाख	रू. 8 लाख
	(ख) यदि चोट 50 प्रतिशत से अधिक है	रू. 5 लाख	रू. 8 लाख
	(ग) यदि चोट 50 प्रतिशत से कम है	रू. 3 लाख	रू. 5 लाख
	(घ) यदि चोट 20 प्रतिशत से कम है	रू. 3 लाख	रू. 4 लाख

टिप्पणः– यदि यौन शोषण/तेजाब हमले की पीड़ित महिला अनुसूची की एक या उससे अधिक श्रेणी के अधीन शामिल हैं, तो वह मुआवजे के संयोजित मूल्य हेतु विचारित किए जाने के लिए हकदार होगी।

विजय वर्धन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय तथा प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 1st June, 2020

No. S.O. 24/C.A. 2/1974/S. 357A/2020.— In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974), the Governor of Haryana in co-ordination with the Central Government, hereby frames the following schemes for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his/her dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely :-

Part-I

Short title and application.

1. (1) This scheme shall be called the Haryana Victim Compensation Scheme, 2020.

(2) It shall apply to the victims except women victims/survivors of sexual assault/other crimes.

Definitions.

2. (1) In the scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974);

(b) "crime" means illegal act or omission or commission or an offence committed against the human body of the victim;

(c) "dependents" means wife/husband, father, mother, unmarried daughter, minor children and includes other legal heir of the victim who, on providing sufficient proof, is found fully dependent on the victim by the District Legal Services Authority ;

(d) "family" means parents, children and includes all blood relations living in the same household ;

(e) "Schedule" means Schedule appended to this scheme ;

(f) "State" means the State of Haryana ;

(g) "Victim" means victim as defined under the Act and also includes acid attack victim.

(2) Words and expressions used but not defined in this scheme, shall have the same meaning assigned to them in the Code of Criminal Procedure 1973 (Central Act 2 of 1974) and the Indian Penal Code 1860 (Central Act 45 of 1860).

Victim Compensation fund.

3. (1) There shall be constituted a fund namely victim compensation fund.

(2) The victim compensation fund shall consist of,-

(a) budgetary allocation for which necessary provision shall be made in the annual budget by the State ;

(b) receipt of amount of fines imposed under section 357 of the Act and ordered to be deposited by the courts in the fund.

(c) amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 7 of the Scheme.

(d) donations/contributions from international/ national/Philanthropist/ charitable institution/organization and individuals.

(3) The Administration of Justice Department shall be Nodal Department for regulating, administering and monitoring this scheme.

(4) The State Legal Services Authority shall be accountable for its functions under the scheme and for furnishing periodical returns of the sums distributed to them by the State Government through the Nodal Department.

(5) The fund shall be operated by the Member Secretary, State Legal Services Authority.

Eligibility for compensation.

4. (1) A victim shall be eligible for the grant of compensation where,

(a) A recommendation is made by the Court under sub-sections (2) and (3) of section 357-A of the Act, if no recommendation is made by the trial court, no compensation shall be granted by District Legal Services Authority except in the case when the offender is not traced out or identified ;

(b) the offender is not traced or identified, and where no trial takes place, such victim may also apply for grant of compensation under sub-section (4) of section 357-A of the Act ;

(c) the victim/ claimant report the crime to the officer-in-charge of the police station or any senior police officer or Executive Magistrate or Judicial Magistrate of the area within 48 hours of the occurrence :

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(d) the offender is traced or identified, and where trail has taken place, the victim/claimant has cooperated with the police and prosecution during the investigation and trial of the case ;

(e) where the offender is traced, the victim/claimant has co-operated during the investigation/trial and the offender dies before or after the commencement of trial, the victim may apply for grant of compensation.

(f) The income of the family should not exceed four lakh fifty thousand rupees per annum ;

(g) The crime on account of which the compensation which to be paid under this schemes should have been occurred within the jurisdiction of the State.

(2) The employees of the Central or the State Government, Boards, Corporations and Public Undertaking and income tax payees shall not be eligible under this scheme.

Procedure for grant of compensation.

5. (1) Whenever a recommendation is made by the Court under sub-section (2) of section 357-A of the Act or an application is made by any victim or his dependent under sub-section (4) of section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District Legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim and by conducting due enquiry, the District Legal Services Authority shall award compensation within two months, in accordance with provisions of this scheme.

(2) Compensation under this scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount equal to the amount of compensation, or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) of section 357 of the Act, whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/claimant before the disbursal of the compensation amount :

Provided that the compensation payable under this Scheme shall be in addition to the payment of the fine to the victim under section 326-A of the Indian Panel Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on fact of each case.

(4) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall be as per Schedule-I.

(5) The amount of compensation decided, under the scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the fund. While making payment of amount of compensation, the District Legal Services Authority shall ensure that all the provisions of this scheme are strictly complied with.

(6) Notwithstanding anything in this scheme, the Acid Attack Victim shall be paid an amount of Rs.1 Lakh rupees within fifteen days of the occurrence of the incident and the balance amount of Rs. 2 Lakh rupees shall be paid as expeditiously as may be possible and positively within two months.

(7) The compensation determined to be paid to minor shall be deposited in the fixed deposit.

(8) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, ex-gratia and/or payment received under any other Act or 'Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojna', or any other State-run scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this scheme. The victim/claimant who has received compensation amount from collateral sources mentioned above shall be deemed to be compensated under this scheme and shall not be entitled to separate compensation under this scheme. If the eligible compensation amount exceeds the payments received by the victim form collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of fund.

(9) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the scheme.

(10) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other interim relief, as it may deem fit.

Order to be placed on record.

6. Copy of the order of compensation passed under this scheme shall be mandatorily placed on record of the trial Court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act.

Recovery of compensation awarded to victim from wrongdoer/accused.

7. The District Legal Services Authority, if deem it proper, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/her dependent(s) from the person responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him.

Limitation.

8. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime or six months from closure of investigation, whichever is later ?

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filling the claim.

Appeal.

9. Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days :

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filling the appeal.

Repeal and savings.

10. The Haryana Victim Compensation Scheme, 2013 is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the scheme so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this scheme.

Schedule-I

{See clause 5(4)}

Serial number	Description of Injuries/loss	Minimum Amount of Compensation
1.	Acid attack	₹ 3 lakhs
2.	Physical abuse of minor	₹ 3 lakhs
3.	Rehabilitation of Victim of Human Trafficking	₹ 1 lakh
4.	Sexual assault (Excluding rape)	₹ 50,000/-
5.	Death	₹ 2 lakhs
6.	Permanent Disability (80% or more)	₹ 2 lakhs
7.	Partial Disability (40 % to 80%)	₹ 1 lakh
8.	Burns affecting greater than 25% of the body (excluding Acid Attack cases)	₹ 2 lakhs
9.	Victims of cross border firing : (a) Death or Permanent Disability (80% or more) (b) Partial Disability (40% to 80%)	 ₹ 2 lakhs ₹ 1 lakh

Note : If the victim is less than fourteen years of age, the compensation shall be increased by 50% over the amount specified above.

Part-II

Short title and Commencement and application.

1. (1) This scheme shall be called the Haryana Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the date of publication of the notification.

(3) It shall apply to the victims and their dependent(s) who have suffered loss, injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

Definitions.

2. (1) In the scheme, unless the context otherwise requires:—

(a) "**Code**" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) ;

(c) '**dependent**' includes husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub- Divisional Magistrate of the concerned area/ Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry ;

(d) "**District Legal Services Authority**" means the District Legal Services Authority (DLSA)constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Central Act 39 of 1987) ;

(e) '**Form'** means form appended to the scheme ;

(f) '**Fund**' means State fund i.e. victim compensation fund constituted under the State Victim Compensation Scheme;

(b) '**Central Fund'** means funds received from Central Victim Compensation Fund Scheme, 2015;

(o) **"Women Victim Compensation Fund"** means a fund segregated for disbursement for women victim, out of State Victim Compensation Fund and Central Fund. *[Within the State Victim Compensation Fund, a separate Bank Account shall be maintained as a portion of that larger fund which shall contain the funds contributed under Central Victim Compensation Fund Scheme by MHA, Government of India contributed from Nirbhaya Fund apart from funds received from the State Victim Compensation Fund which shall be utilised only for victims covered under this Chapter].*

(g) **"Government"** means 'State Government' wherever the State Victim Compensation Scheme or the State Victim Compensation Fund is in context and 'Central Government' wherever Central Government Victim Compensation Fund Scheme is in context and includes UTs;

(h) **"injury"** means any harm caused to body or mind of a female ;

(i) ***"Minor"*** means a girl child who has not completed the age of eighteen years;

(j) **"offence"** means offence committed against women punishable under Indian Panel Code 1860 (Central Act 45 of 1860) or any other law ;

(k) **"Penal Code"** means Indian Penal Code,1860 (Central Act 45 of 1860);

(l) '**Schedule**' means Schedule appends to this scheme ;

(m) "**State Legal Services Authority**" means the State Legal Services Authority(SLSA), as defined in section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act 39 of 1987) ;

(n) **"Sexual Assault Victims"** means female who has suffered mental or physical injury or both as a result of sexual offence including sections 354 (A) to 354 (D), section 376 (A) to 376 (E) and section 509 of the Penal Code;

(p) **"Woman Victim/ survivor of other crime"** means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including sections 304 B, Section 326A, section 498A of the Penal Code (in case of physical injury of the nature specified in the schedule) including the attempts and abetment ;

(2) Words and expressions used but not defined in this scheme shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure,1973 (Central Act 2 of 1974) and the Indian Penal Code,1860 (Central Act 45 of 1860).

Women victim compensation fund.

3. (1) There shall be a fund namely the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The Women Victims Compensation Fund shall comprise the following :-

(a) contribution received from Central Victim Compensation Fund Scheme, 2015.

(b) budgetary allocation in the shape of Grants-in-aid to State Legal Services Authority for which necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(c) any cost amount ordered by Civil/Criminal Tribunal to be deposited in this fund.

(d) amount of compensation recovered from the wrongdoer/accused under clause 4 of the scheme;

(e) Donations/contributions from International/ National/ Philanthropist/ Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by the State or the Central Government.

(f) Contributions from companies under Corporate Social Responsibility.

(3) The said fund shall be operated by the State Legal Services Authority.

Eligibility for compensation.

4. A woman victim or her dependent (s) as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. However, the compensation received by her in the other schemes with regard to section 357-B of the Code shall be taken into account while deciding the quantum in the such subsequent application.

Procedure for making application before the State Legal Services Authority or District Legal Service Authority.

5. Mandatory Reporting of FIRs: - SHO/SP/DCP shall mandatorily share soft/hard copy of FIR immediately after its registration with State Legal Services Authority/District Legal Services Authority qua commission of offences covered in this scheme which include sections 326A, 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A of the Penal Code (in case of physical injury covered in this Schedule), so that the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority can, in deserving cases, may suo-moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation.

An application for the award of interim/ final compensation can be filed by the victim and/or her dependents or the SHO of the area before concerned State Legal Services Authority or District Legal Services Authority. It shall be submitted in Form 'I' along with a copy of the First Information Report (FIR) or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report, Death Certificate, wherever applicable, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over.

Place of filing of application.

6. The application/recommendation for compensation can be moved either before the State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online on a portal which shall be created by all State Legal Services Authorities. The Secretary of the respective District Legal Services Authority shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per the scheme.

Explanation: In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union of India W.P.CRML 129/2006 order dated the 10th April, 2015 which includes Ld. District and Sessions Judge, DM, SP, Civil Surgeon/CMO of the district.

Reliefs awarded by State or District Legal Services Authority.

7. The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the Scheduled.

Factors to be considered while awarding compensation.

8. While deciding a matter, the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim ,-

(i) gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim ;

(ii) expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health including counselling of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial (other than diet money) ;

(iii) loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason ;

(iv) loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason ;

(v) the relationship of the victim to the offender, if any ;

(vi) whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time ;

(vii) whether victim became pregnant as a result of the offence, whether she had to undergo Medical Termination of Pregnancy (MTP)/ give birth to a child, including rehabilitation needs of such child ;

(viii) whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence ;

(ix) whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence ;

(x) any disability suffered by the victim as a result of the offence ;

(xi) financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re-integration needs of the victim ;

(xii) in case of death, the age of deceased, her monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc ;

(xiii) any other factor which the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority may consider just and sufficient.

Procedure for grant of compensation.

9. (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and/or (3) of section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, to the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, for interim compensation it shall prima-facie satisfy itself qua compensation needs and identity of the victim. As regards the final compensation, it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim:

Provided that in deserving cases and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, Secretary, State Legal Services Authority or Secretary, District Legal Services Authority may *suo moto* or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section (5) of section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation :

Provided that in cases of acid attack an amount of One lakh rupees shall be paid to the victim within fifteen days of the matter being brought to the notice of District Legal Services Authority. The order granting interim compensation shall be passed by District Legal Services Authority within seven days of the matter being brought to its notice and the State Legal Services Authority shall pay the compensation within eight days of passing of the order. Thereafter, an amount of Two lakhs rupees shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment:

Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this scheme.

(3) After consideration of the matter, the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s) taking into account the factors enumerated in clause 8 and Schedule-I. However, in deserving cases, for reasons to be recorded, the upper limit may be exceeded:

Provided, in case the victim is minor, the limit of compensation shall be deemed to be 50% higher than the amount mentioned in the Schedule-I.

(4) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall be as per Schedule-I.

**** Victims of acid attack are also entitled to additional compensation of Rs. 1 lakh rupees under Prime Minister's National Relief Fund vide memorandum no. 24013/94/Misc./2014-CSR-III/GoI/MHA dated the 9th November, 2016.***

Victims of acid attack are also entitled to additional special financial assistance up to five Lakh rupees who need treatment expenses over and above the compensation paid by the respective State/UTs in terms of Central Victim Compensation Fund Guidelines-2016, no. 24013/94/Misc/2014-CSR.III, MHA/GoI.

(5) The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority may call for any record or take assistance from any Authority/Establishment/Individual/ Police/Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(6) In case trial/appellate court gives findings that the criminal complaint and the allegation were false, then Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation, if any, granted in part or full under this scheme, before the Trial Court for its recovery as if it were a fine.

Order to be placed on record.

10. Copy of the order of interim or final compensation passed under this scheme shall be placed on record of the Trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under section 357 of the Code. A true copy of the order shall be provided to the IO in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent as the case may be.

Method of disbursement of compensation.

11. (1) The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the State Legal Services Authority by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the District Legal Services Authority concern would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the superintendent of the institution as guardian. However, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards.

Interim amount shall be disbursed in full. However, as far as the final compensation amount is concerned, 75% (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25% (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80% of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit :

Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent needs of the beneficiary at the discretion of the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority.

(3) The interest on the sum, if lying in Fixed Deposit Receipt form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

Interim relief to victim.

12. The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or *suo moto* :

Provided that as soon as the application for compensation is received by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, a sum of five thousands rupees or as the case warrants up to ten thousands rupees shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalised Bank by the Secretary, District Legal Services Authority or Member Secretary, State Legal Services Authority :

Provided further that the interim relief so granted shall not be less than twenty five percent of the maximum compensation awardable as per Schedule-I, which shall be paid to the victim in totality :

Provided further that in cases of acid attack a sum of One lakh rupees shall be paid to the victim within fifteen days of the matter being brought to the notice of State Legal Services Authority or District Legal Services Authority. The order granting interim compensation shall be passed by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority within seven days of the matter being brought to its notice and the State Legal Services Authority shall pay the compensation within eight days of passing of order. Thereafter an additional sum of two lakh rupees shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

Recovery of compensation awarded to Victim or her dependent(s).

13. Subject to the provisions of sub-section (3) of section 357A of the Code, the State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him/her. The amount, so recovered, shall be deposited in Woman Victim Compensation Fund.

Dependency Certificate.

14. The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended :

Provided that the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of fifteen days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.

Minor victims.

15. That in case the victim is an orphaned minor without any parent or legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the bank account of the child, opened under the guardianship of the superintendent, child care institutions where the child is lodged or in absence thereof, DDO/SDM, as the case may be.

Limitations.

16. Under the Scheme, no claim made by the victim or her dependent(s), under sub-section (4) of section 357A of the Code, shall be entertained after a period of three years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial ;

However, in deserving cases, on an application made in this regard, for reasons to be recorded, the delay beyond three years can be condoned by the State Legal Services Authorities or District Legal Services Authorities.

Appeal.

17. In case the victim or his dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary, District Legal Services Authority, they can file appeal within thirty days from the date of receipt of order before the Chairperson, District Legal Services Authority ;

Provided that, delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded, in deserving cases, on an application made in this regard.

Special provisions.

18. (1) In case this scheme is silent on any issue pertaining to Victim Compensation to Women, the provisions of Victim Compensation Scheme of the State would be applicable.

(2) Nothing in this scheme shall prevent victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

Explanation: It is clarified that this scheme does not apply to minor victims under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 12 of 2012) in so far as their compensation issues are to be dealt with only by the Ld. Special Courts under section 33 (8) of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (Central Act 12 of 2012) and rule (7) of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012.

FORM –I

{See clause 5}

APPLICATION FOR THE AWARD OF COMPENSATION UNDER COMPENSATION SCHEME FOR WOMEN VICTIMS/SURVIVORS OF SEXUAL ASSAULT/OTHER CRIMES, **2020** FOR INTERIM/ FINAL RELIEF FOR WOMEN

1.	Name of the Applicant Victim(s) or her Dependent(s)	
2.	Age of the Victim(s) or her Dependent(s)	
3.	(a) Father's Name (b) Mother's Name (c) Spouse's Name	
4.	Address of the Victim(s) or her/their Dependent(s)	
5.	Date and time of the Incident	
6.	Whether FIR has been lodged?	
7.	Whether medical examination has been done? If yes, enclose Medical Report/ Death Certificate /P.M. Report.	
8.	Status of trial, if pending. If over, enclose copy of judgment and order on sentence.	
9.	Has the applicant been awarded any compensation by the trial court or any other Govt. agency. If, yes give details.	
10.	Give details of financial expenditure/ loss incurred	
11.	Have you instituted any civil suit/ claim against the perpetrator of offence. If yes give details.	

Signature of the Victim/Dependent.

Schedule – I

{See clause 9(4)}

Serial Number.	Particulars of loss or injury	Minimum Limit of Compensation	Upper Limit of compensation
1	Loss of Life	₹ 5 Lakh	₹ 10 Lakh
2	Gang Rape	₹ 5 Lakh	₹ 10 Lakh
3	Rape	₹ 4 Lakh	₹ 7 Lakh
4	Unnatural Sexual Assault	₹ 4 Lakh	₹ 7 Lakh
5	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	₹ 2 Lakh	₹ 5 Lakh
6	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability	₹ 2 Lakh	₹ 4 Lakh
7	Loss of any limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability	₹ 1 Lakh	₹ 3 Lakh
8	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability	₹ 1 Lakh	₹ 2 Lakh
9	Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation	₹ 1 Lakh	₹ 2 Lakh
10	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility.	₹ 2 Lakh	₹ 3 Lakh
11	In case of pregnancy on account of rape.	₹ 3 Lakh	₹ 4 Lakh
12	Victims of Burning:		
a.	In case of disfigurement of case	₹ 7 Lakh	₹ 8 Lakh
b.	In case of more than 50%	₹ 5 Lakh	₹ 8 Lakh
c.	In case of injury less than 50%	₹ 3 Lakh	₹ 7 Lakh
d.	In case of less than 20%	₹ 2 Lakh	₹ 3 Lakh
13	Victims of Acid Attack-		
a.	In case of disfigurement of face.	₹ 7 Lakh	₹ 8 Lakh
b.	In case of injury more than 50%.	₹ 5 Lakh	₹ 8 Lakh
c.	In case of injury less than 50%.	₹ 3 Lakh	₹ 5 Lakh
d.	In case of injury less than 20%	₹ 3 Lakh	₹ 4 Lakh

Note: If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

VIJAY VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

8777—C.S.—H.G.P., Pkl.